

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4 (ई)(1)(6) / 200 / 88 / से.नि. / अलेसे-III / 2534

दिनांक:- 21.12.2018

आदेश संख्या-279/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित तिथि से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. स.	नाम (सर्वश्री) क. लेखाकार	जन्म तिथि	से.नि.तिथि	वर्तमान पदस्थापन	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जगदीश सिंह पुरोहित (4129)	01.01.1959	31.12.2018	जिला एवं सेशन न्यायाधीश पाली (राज.)	

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यावाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4 (ई)(1)(6) / 200 / 88 / से.नि. / अलेसे-III / 2534

दिनांक:- 21.12.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जोधपुर।
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II/कनिष्ठ लेखाकार।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)